छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

मुख्यालय, सेक्टर–24, ऑफिस कैम्पस, ब्लाक–7/ए, द्वितीय तल,

अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्थापना/प्ले.ए./2024/543 A

रायपुर, दिनांक 29/07/2024

ई–निविदा सूचना

निगम की महत्वपूर्ण योजनाओं के कियान्वयन हेतु प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से मानव संसाधन उपलब्ध कराने संबंधी ई–निविदा दिनांक 31.07.2024 से 29.08.2024 सायं 5:00 बजे तक आमंत्रित है।

Bid Start Date	31.07.2024	11.00 AM
Bid Due Date	29.08.2024	05.00 PM
Bid Open Date From	30.08.2024	11.00 AM

ई–निविदा के नियम शर्तें एवं विस्तृत जानकारी वेबसाईट www.cgstate.gov.in एवं http:eproc.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है।

किसी भी निविदा को बिना कारण बताये मान्य अथवा अमान्य किये जाने का अंतिम अधिकार प्रबंध संचालक को रहेगा।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

डिप्टी एजीएम (प्रशासन)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

मुख्यालय, सेक्टर–24, ऑफिस कैम्पस, ब्लाक–7/ए, द्वितीय तल,
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

निगम की महत्वपूर्ण योजनाओं के कियान्वयन हेतु प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से मानव संसाधन उपलब्ध कराने संबंधी ई–निविदा

सूचना कमांकः– 545 नवा रायपुर दिनांकः29/07/2024

–: ई–निविदा प्रपत्र :–

Bid Start Date	31.07.2024	11.00 AM
Bid Due Date	29.08.2024	05.00 PM
Bid Open Date From	30.08.2024	11.00 AM

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

मुख्यालय, सेक्टर–24, ऑफिस कैम्पस, ब्लाक–7/ए, द्वितीय तल,
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

निगम की महत्वपूर्ण योजनाओं के कियान्वयन हेतु प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से मानव संसाधन उपलब्ध कराने संबंधी ई–निविदा निविदा

छत्तीसगढ़ राज्य के निर्दिष्ट स्थानों निगम के महत्वपूर्ण योजनाओं के कियान्वयन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपार्जन एवं भण्डारण का कार्य सम्पादन हेतु प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से मानव संसाधन प्रोजेक्ट मैनेजर(एमबीए) 01, स्टेनोग्राफर(अंग्रेजी) 01, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 01 एवं 05 कॉल सेंटर ऑपरेटर(ऑफिस असिस्टेंट), की सेवाएं मानव संसाधन के रूप में उपलब्ध कराये जाने ई–निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु दस्तावेज।

E-Tender Schedule

Bid Start Date	31.07.2024	11.00 AM
Bid Due Date	29.08.2024	05.00 PM
Bid Open Date From	30.08.2024	11.00 AM

टिप्पणीः–

1. निविदा खोलने के लिये निर्धारित तारीख को यदि अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा अवकाश के पश्चात् अगले कार्यकारी दिवस को खोली जायेगी लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये गये समय में परिवर्तन नहीं होगा।
2. यह निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है।
3. निविदा दस्तावेज दिनांक 29/08/2024 को सायं 5.00 बजे तक ऑनलाईन जमा किया जा सकता है। निविदा दस्तावेज जमा करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया है। निविदाकारों को यह सुझाव दिया जाता है कि निविदा मजा कने की ऑनलाईन निर्देश एवं प्रकिया का विधिवत अध्ययन कर लें एवं अंतिम समय का इंतजार किये बिना पर्याप्त समय पूर्व, निर्धारित प्रकिया पूर्ण कर ऑनलाईन निविदा दस्तावेज जमाकिया जाना चाहिए ताकि अंतिम समय में साफ्टवेयर /कनेक्टीवीटी आदि में तकनीकी समस्या होने पर निविदा जमा करने में कठिनाई न हों। अंतिम समय में सॉफ्टवेयर/ कनेक्टीवीटी आदि में तकनीकी समस्या आने के कारण ऑनलाईन निविदा दस्तावेज जमा नहीं होने पर समयावृद्धि करने हेतु कोई दावा आपत्ति, अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा और ना ही मैन्यूअल निविदा स्वीकार की जावेगी।
4. निविदा दस्तावेज की प्रति Online की प्रस्तुत की जावेगी एवं इसके हर पृष्ठ पर निविदाकार के सीलयुक्त हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
5. निविदा प्रपत्र वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना होगा। निविदा फार्म के लिये राशि रू 2500.00+ 18% GSt (450/-) प्रोसेसिंग फीस तथा 311/– बीड सबमिशन फीस इस प्रकार कुल राशि रू. 3261.00 (तीन हजार दो सौ इक्सठ रूपये) वेबसाईट

https://eproc.cgstate.gov.in में निर्धारित लिंक में चिप्स के एकाउन्ट में ऑनलाईन जमा किया जाना होगा। निविदा की आनलाईन प्रकिया के संबंध में निविदा भरते समय किसी भी प्रकार की सहायता के संबंध में चिप्स द्वारा ही जानकारी दी जायेगी। ऑनलाईन निविदा प्रकिया की विस्तृत जानकारी के लिये निविदा प्रपत्र का अवलोकन किया जा सकता है।

6. निविदा दस्तावेज जमा करने के पहले ही निविदाकार का चिप्स में पंजीयन हो तथा ACTIVE डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) उपलब्ध हो यह सुनिश्चित कर लेवें।

7. प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा फार्म में पृष्ठ 01 से 15 तक समाहित है। उपरोक्त समस्त निर्देश भी निविदा का भाग है।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज
कार्पोरेशन लिमिटेड, नवा रायपुर
(छ0ग0)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

मुख्यालय, सेक्टर–24, ऑफिस कैम्पस, ब्लाक–7/ए, द्वितीय तल,

अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

निविदा की नियम एवं शर्तें

1. सेवा प्रदाता द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के निर्दिष्ट स्थानों पर निगम के महत्वपूर्ण योजनाओं के कियान्वयन हेतु निम्नानुसार मानव संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे।

कमांक	पदनाम	संख्या
1.	प्रोजेक्ट मैनेजर (एमबीए)	01
2.	स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)	01
3.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01
4.	कॉल सेंटर ऑपरेटर (ऑफिस असिस्टेंट)	05

उक्त मानव संसाधन की संख्या में बढ़ोत्तरी या कमी सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा की जा सकती हैं।

2. निविदाकारों को EMD (ईएमडी) राशि तकनीकी बीड के साथ 50,000.00/– (पचास हजार रूपये मात्र) RTGS/TRANSFER के माध्यम से निविदाकार के स्वयं/फर्म/कंपनी के बैंक खाते से CG STATE SUPPLIES CORPORATION LTD के खाता क्र–10822706427 IFSC CODE-SBIN0008536 कमर्शियल ब्रांच पचपेड़ नाका, रायपुर भारतीय स्टेट बैंक में जमा करना अनिवार्य होगा। यह EMD (ईएमडी) राशि सफल निविदाकार की रोककर शेष को 15 दिवस में वापस की जावेगी।

3. सफल निविदाकार की EMD राशि प्रतिभूति राशि के रूप में परिवर्तित की जा सकेगी। सफल निविदाकार को प्रतिभूति राशि के रूप में 1,00,000.00/–(एक लाख रूपये) अनुबंध के साथ जमा करना आवश्यक होगा । यह राशि 50,000.00 EMD से परिवर्तित होने के पश्चात् तथा शेष 50,000.00 रूपये डीडी के माध्यम से जमा करना आवश्यक होगा। उक्त पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

4. **प्लेसमेंट एजेंसी की पात्रता हेतु न्यूनतम मापदण्ड :–**

I. **शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों में विभिन्न कार्यों हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो। साक्ष्य हेतु नियोक्ता द्वारा जारी कम से कम दो वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र एवं संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र उक्त ई–निविदा की जमा तिथि से पूर्व संबंधित शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों से सक्षम अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।**

II. गत तीन वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 का वार्षिक टर्न ओवर (संबंधित क्षेत्र) में कम से कम एक वर्ष में रू. 25 लाख होने का चार्टेड एकाउंटेन्ट से सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र में मानव संसाधन सेवा प्लेसमेंट सर्विस के टर्नओवर का उल्लेख होना अनिवार्य है।

III. एम्प्लाईज प्रोविडेन्ट फंड, लेबर एक्ट, जीएसटी, ईएसआईसी आदि के अंतर्गत वैध पंजीयन हो। पंजीयन प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां टेक्निकल बिड लिफाफा में जमा करना अनिवार्य होगा। टेक्नीकल बिड क्वालीफाई होने के उपरांत ही प्राईज बिड खोली जावेगी।

IV. एजेंसी का रजिस्टर्ड ऑफिस छत्तीसगढ़ राज्य में ही स्थित होना चाहिए। इस हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

V. आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी लेखा संख्या/PAN नम्बर/जीएसटी नंबर प्राप्त हो, पेन कार्ड एवं जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

VI. विगत तीन वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 में से कम से कम दो Assessment Year का आयकर रिटर्न एवं माह मार्च–2024 की जमा GST-R1 एवं GST-R3 B भी रिटर्न की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

VII. ई–निविदा की शर्तो के अर्न्तगत मानव संसाधन की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं मासिक मानदेय (प्रति व्यक्ति/प्रतिमाह) निम्नानुसार होगी :–

क्र.	पदनाम/ मानदेय प्रतिमाह	संख्या	शैक्षणिक अर्हता
1.	प्रोजेक्ट मैनेजर 40,000.00	01	एम.बी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण।
2.	स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) 20,900.00	01	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण, छ.ग./म.प्र. मुद्रलेखन बोर्ड अथवा शासन द्वारामान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी. सी.ए.)
3.	डाटा एंट्री आपरेटर 18,420.00	01	हायर सेकेन्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण एवं शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र एवं मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन गति 8000 की (Key) डिप्रेषन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौषल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र।
4.	ऑफिस असिस्टेंट 18,420.00	05	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक एवं कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा/डी.सी.ए./पी.जी. डी.सी.ए. उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन गति 5000 की (Key) डिप्रेषन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौषल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र तथा शासकीय/अर्धशासकीय संस्थानों के कॉल सेंटर में कार्य करने का अनुभव हो।

प्लेसमेंट एजेंसी को छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सूचना दिये जाने पर उक्त वर्णित शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव रखने वाले मानव संसाधन, सूचना प्राप्त होने के 07 (सात)दिवस के भीतर उपलब्ध कराना होगा। कर्मियों की संख्या में कमी या बढोत्तरी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा समय–समय पर की जा सकेगी। प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी कर्मी प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा नियोजित होंगे तथा कर्मियों एवं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के मध्य सेवक एवं नियोजक का संबंध नहीं रहेगा। यदि कोई कर्मी कार्य के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता या अनुशासनहीन होना पाया जाता है तो सूचना प्राप्त होने पर प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उसे तत्काल वापस लेना होगा तथा यदि आवश्यक हो तो उसके बदले अन्य कर्मी भेजना होगा। यदि नियोजित कर्मी द्वारा निगम/विभाग को आर्थिक हानि पहुँचाई जाती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति की जवाबदारी प्लेसमेंट एजेंसी पर ही होगी। कर्मियों की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा मेडिकल फिटनेस, पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन आदि का उत्तरदायित्व प्लेसमेंट एजेंसी पर होगा।

VIII. निविदा की स्वीकृति पत्रक जारी होने के सात दिनों के भीतर सफल निविदाकार को 100/– मात्र के नॉन–ज्यूडिसियल स्टॉम्प में अनुबंध करना होगा। निविदा के अंतर्गत अनुबंध की अवधि 01 (एक) वर्ष की होगी, अवधि में आवश्यकता अनुसार 02 वर्ष तक पूर्व में स्वीकृत शर्तों/दरों पर वृद्धि की जा सकेगी। जिसके लिए प्लेसमेंट एजेंसी बाध्य रहेगी। सफल निविदाकार द्वारा सात दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादन न करने की स्थिति में अथवा सेवा संतोषप्रद न पाये जाने पर निविदाकर्ता की प्रतिभूति/सुरक्षा राशि राजसात करते हुए भविष्य की निगम में निविदा हेतु काली सूची में डाल दिया जाएगा।

5. **प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा मानव संसाधन कर्मियों को भुगतानः–प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा मानव संसाधन कर्मियों को वेतनभुगतान का साक्ष्य देयक के साथ प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा प्रस्तुत देयक का भुगतान प्रतिमाह किया जावेगा।**

निर्धारित एकमुश्त राशि में से प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क की कटौती नहीं की जावेगी परंतु नियमानुसार कर्मियों से प्रदत्त भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा के अंश की कटौती ही की जायेगी तथा शेष राशि का भुगतान संबंधित कर्मी के बैंक खातों में जमा करना होगा।

ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी. आदि कटौती उपरांत जमा किये गये चालान/रसीद एवं जी.एस.टी. रिटर्न की सत्यापित छायाप्रति आगामी माह के प्रस्तुत किये जाने वाले देयक के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

उक्त शर्त का पालन न करने पर निविदाकर्ता की प्रतिभूति/सुरक्षा राशि राजसात करते हुए भविष्य की निगम में निविदा हेतु काली सूची में डाल दिया जाएगा ।

6. **प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा दिया जाने वाला वित्तीय प्रस्तावः–**

I. प्लेसमेंट एजेंसी को उपरोक्तानुसार वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखकर, नियमों के अनुसार विभिन्न संस्थाओं में जमा किए जाने वैधानिक देय राशि का **स्पष्ट उल्लेख दर संलग्न प्रपत्र परिशिष्ट–1 में प्रस्तुत करना होगा।**

II. सेवा अनुबंध अवधि सामान्यतः एक वर्ष के लिये होगा। जिसके अवधि में आवश्यकता अनुसार 02 वर्ष तक पूर्व में स्वीकृत शर्तों/दरों पर वृद्धि की जा सकेगी।

III. परिशिष्ट 01 में दिये गये प्रारूप में निविदा की दर भरी जानी है।

7. निविदादाता एजेंसी/फर्म/संस्था का छत्तीसगढ़ स्थित क्षेत्रीय भविष्य निधि कर्मचारी संगठन में पंजीकृत होना अनिवार्य है, पंजीयन की छायाप्रति संलग्न किया जावे। अन्य राज्य में पंजीकृत इकाई की निविदा मान्य नहीं किया जावेगा।

8. निविदादाता का राशि रू. 10.00 लाख का बैंक साल्वेंसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9. मानव संसाधन कर्मी के प्रतिमाह अंशदान EPF/ESIC की राशि निर्धारित मानदेय/वेतन में सम्मिलित रहेगी तथा नियमानुसार कटौती कर जमा करने की जिम्मेदारी सेवाप्रदाता की होगी।

10. **यदि कोई भी फर्म निरंक चार्जेस की राशि निविदा में भरता हैं तो इस तरह की निविदा दर को गैर–जिम्मेदाराना माना जाएगा और इस पर विचार नही किया जाएगा। शासन द्वारा निर्धारित टीडीएस (आयकर एवं जीएसटी) एवं अन्य तरह के दायित्व की वैधानिक कटौती को पुरा करने के लिए सेवा शुल्क पर्याप्त होना चाहिए। निविदा में भरी गई दरें/सेवा शुल्क की राशि वैधानिक कटौती से कम हैं तो इस तरह की निविदा को सरसरी तौर पर अमान्य कर दिया जाएगा। सर्विस चार्ज टीडीएस एवं अन्य वैधानिक कटौती राशि से अधिक होना अनिवार्य होगा तथा भविष्य में केन्द्र/राज्य द्वारा घोषित कर वृद्धि की देयता भी सेवा शुल्क से पूर्ति हो सुनिश्चित कर लेवें।**

i. कंडिका 11 अनुसार प्राप्त दरों में से जो न्यूनतम दर प्राप्त होगी उस दर को स्वीकार किया जाएगा। आवश्यक होने पर प्राप्त दरों पर निगोशिएशन/क्रॉस ऑफर भी किया जा सकता है।

ii. परिशिष्ट–3 अनुसार जो दर वित्तीय मूल्यांकन द्वारा प्राप्त होगी उसका 50 प्रतिशत अंक दिया जायेगा। इसी तरह टेक्नीकल बीड के अंतर्गत प्राप्त दस्तावेंजो के मूल्यांकन के आधार पर 50 प्रतिशत अंक दिया जायेगा। इन दोनो के अंको के आधार पर एल–1 दरदाता का निर्धारण होगा।

गणना पद्धतिः– QCBS Method:-

Technical Score Of The Bidder	(A)
Highest Technical Score Amongst All Technical Qualified Bidders	(B)
Technical Marks Obtained By The Bidders	{C=(A/B)*50}
Lowest Total Quoted Price Amongst All Technical Qualified Bidders (Reserve Price)	(D)
Total Quoted Price Of The Bidders	(E)
Financial Marks Obtained B The Bidders	{F=(D/E)*50}
Total Marks Obtained By The Bidders	{G=C+F}

टेक्निकल एवं वित्तीय मुल्यांकन को मिलाकर अधिक अंक प्राप्त दरों वाले निविदाकार को, सफल निविदाकार घोषित किया जावेगा।

11. **ऑनलाइन निविदा कैसे प्रस्तुत करें :–**

निगम में मानव संसाधन की सेवाएं प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लिये जाने हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की गई है। निविदाकार को निविदा फार्म अविकल्प रूप से बिना कोई पृष्ठ अलग

किये विधिवत पूर्ण रूप से भरकर प्रस्तुत ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा और उसके सभी पृष्ठ पर नीचे सील सहित हस्ताक्षर करेगा।

निविदाकार को ऑनलाइन निविदा दो बिड सिस्टम 1. तकनीकी बिड, 2. फाइनेनशियल बिड के आधार पर वेबसाइट https://eproc.cgstate.gov.in_ पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा।

निविदाकार को EMD (ईएमडी) **राशि तकनीकी बिड के साथ 50,000.00/– (पचास हजार रूपये) RTGS/TRANSFER के माध्यम से निविदाकार के स्वयं/फर्म/कंपनी के बैंक खाते से CG STATE SUPPLIES CORPORATION LTD के खाता क –10822706427 IFSC CODE-SBIN0008536 कमर्शियल ब्रांच पचपेड़ी नाका, रायपुर भारतीय स्टेट बैंक में जमा करना अनिवार्य होगा।**

निविदा दस्तावेज एवं निविदा प्रकिया ऑनलाइन भरने से संबंधित तकनीकी सहयोग व स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु टेलीफोन नं. 1800–2582–502 पर सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक या helpdesk.eproc@cgswan.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

12. निविदाकार द्वारा **परिशिष्ट–1** में दी गई मानदेय अनुसार ही निविदा दरें भरी जायेगी।

13. यदि निविदाकार कंपनी हो तो कंपनी का MOA संलग्न करना अनिवार्य होगा। फर्म पार्टनरशीप फर्म अथवा प्रोपराइटरशिप फर्म होने की दशा में भागीदारी फर्म का डीड अथवा पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। कंपनी की दशा में MOA में मानव संसाधन आपूर्ति करने का उद्देश्यिका कंडिका में स्पष्ट रुप से उल्लेख होना चाहिये।

14. फर्मो को अब तक उनके द्वारा देय जीएसटी, ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी. अन्य वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा करने, कोई देय राशि बकाया न होने, एवं किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्टेड न होने का शपथ पत्र **परिशिष्ट–2** में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

15. निविदा दस्तावेजों में संलग्न की जाने वाली अनिवार्य दस्तावेज का विवरण **परिशिष्ट–4** अनुसार संलग्न किया जाना होगा।

अन्य शर्तेः–

1. नियोजित कर्मियों को वेतन भुगतान माह समाप्ति पश्चात् विभाग प्रमुख से प्राप्त माह की उपस्थिति पुष्टि प्रेषण पश्चात् आवश्यक वेतन की गणना एवं भुगतान की कार्यवाही आगामी माह के 1 से 10 तारीख तक आवश्यक रूप से करना अनिवार्य होगा। जिन कर्मियों की उपस्थिति अप्राप्त होगा उनसे संबंधित वेतन का भुगतान लंबित रखा जा सकेगा। नियोजित कर्मियों को वेतन भुगतान उक्त अवधि में आवश्यक रूप से करना अनिवार्य होगा। निविदाकार द्वारा देयक प्रस्तुती का भुगतान उपस्थिति अप्राप्त होने के कारण नियोजित कर्मियों का वेतन लंबित नहीं रखा जा सकेगा। नियोजित कर्मी द्वारा निर्धारित समय–सीमा में वेतन प्राप्त नहीं होने के की शिकायत प्राप्त होती है, तो निविदा अनुबंध नियमों के अंतर्गत निगम द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

2. **नियोजित कर्मियों के सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विगत माह की कटौत्रा राशि का जमा रसीद, प्रत्येक कर्मियों के Transaction Id, UTR की छायाप्रति प्रतिमाह छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड में प्रस्तुत करना होगा, जिसके उपरांत ही भुगतान किया जावेगा।**

3. प्लेसमेंट एजेंसी श्रम कानूनों का पालन करने के लिए स्वयं जवाबदार रहेगी एवं आवश्यक पंजीयन संबंधित विभाग से प्राप्त करेगी एवं प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

4. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा मानव संसाधन उपलब्ध कराते समय सभी संबंधित कर्मचारियों को नियुक्ति आदेश मय परिचय पत्र छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध कराया जाना होगा कर्मचारी की न्यूनतम योग्यता की पूर्ति करने की संपूर्ण जानकारी प्लेसमेंट एजेंसी की होगी।

5. उक्त कर्मियों का E.P.F. एवं E.S.I.C. कटौती नियमानुसार करना होगा। नियोजित कर्मियों की वर्णित एकमुश्त मासिक राशि का भुगतान E.P.F. एवं E.S.I.C. कटौती प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा किया जायेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी को एकमुश्त देय राशि माह समाप्ति पर देयक प्रस्तुत किये जाने के उपरांत नियमानुसार ही किया जायेगा। स्वीकृत दर के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा। GST-R1 एवं GST-R3 B की मासिक विवरण की प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

6. संस्था द्वारा निविदा प्रपत्र में दर्शित अर्हता के अनुरूप मानव संसाधन, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड की अवलोकन कर सहमति के उपरांत ही उपलब्ध कराया जा सकेगा।

7. उपलब्ध कराये जा रहें कर्मचारी निगम की सेवा में ही कार्यरत रहेंगे।

8. कार्यालयीन समय में कोई भी कर्मचारी बिना संबंधित अधिकारी की अनुमति के कार्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा।

9. उपलब्ध कराये जा रहे कर्मियों को एक वर्ष में कुल 18 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता रहेंगी, किन्तु एक बार में निरंतर तीन दिवस से अधिक आकस्मिक अवकाश लेने पर अवैतनिक किया जावेगा।

10. कार्य के दौरान प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा संतोषप्रद सेवायें प्रदान न करने की स्थिति में छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड एक सप्ताह के लिखित नोटिस के उपरांत उत्तर संतोषप्रद न पाये जाने पर अनुबंध निरस्त कर सकेगा।

11. सभी कर्मचारी कार्यालय में कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसमें कार्यालयीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आपत्ति हो। यदि आवश्यक हुआ तो या छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारी के कहने पर अथवा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर जिससे निगम को किसी भी प्रकार की हानि हो, ऐसी स्थिति में प्लेसमेंट एजेंसी को खराब आचरण करने वाले कर्मी को तत्काल बदलना होगा।

12. कर्मचारियों की संख्या में परिवर्तन छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय नवा रायपुर के आदेश से किया जा सकेगा।

13. मानदेय/वेतन की दरें शासन द्वारा परिवर्तन किये जाने पर तदानुसार दर प्रबंध संचालक द्वारा स्वीकृति उपरांत संशोधित की जा सकेगी, इस पर अंतिम निर्णय का अधिकार निगम को होगा।

14. सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित किये जाने वाले व्यक्ति छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे।

15. उपरोक्त शर्तो का पालन नहीं करने पर संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी को तीन वर्षो हेतु ब्लेक लिस्टेड करते हुए अमानत/जमानत राशि राजसात की जावेगी।

16. उभय पक्षों के मध्य इस निविदा तथा अनुबंध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने के 60 दिवस के भीतर प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोशन को निराकरण हेतु प्रस्तुत किये जाएंगे। जिसका निराकरण प्रस्तुति दिनांक से 30 दिन के भीतर किया जावेगा। उक्त 30 दिनों की समय सीमा उभयपक्षों के द्वारा आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकती है। यदि कोई पक्ष, प्रबंध संचालक द्वारा पारित निर्णय से सहमत नहीं हो तो, क्षुब्ध पक्ष उक्त विवाद को निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ मध्यस्थम अधिकरण, रायपुर में निर्णय हेतु प्रस्तुत कर सकता है। जिसका निराकरण छत्तीसगढ़ मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 के तहत होगा, जो अंतिम एवं बन्धनकारी होगा।

17. मानव संसाधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी। जिन लोगों को फर्म ने निगम में काम करने के लिए प्रस्तावित या चयनित किया है, उनकी योग्यता का भौतिक सत्यापन की जिम्मेदारी फर्म की होगी। अगर किसी ऐसे व्यक्ति जिसको फर्म ने नाम प्रस्तावित या चयनित कर निगम में कार्य करने हेतु भेजा है, तो उसकी शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों को वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी फर्म की होगी, न की निगम की।

18. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने, नियम शर्तों को शिथिल करने तथा बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित रहेगा।

19. अनुबंध के अंतर्गत जमा अमानत राशि की वापसी अनुबंध समाप्ति के 12 माह पश्चात् होगा। इस दरम्यान यदि मानव संसाधन की सेवा किये व्यक्ति की शिकायत अथवा किसी वैधानिक संस्था द्वारा निविदाकार द्वारा दायित्वों की पूर्ति नहीं करने के संबंधी शिकायत पत्र प्राप्त होता है तो निगम द्वारा ऐसी दायित्वों का पालन करते हुए संबंधित संस्थान/व्यक्ति को राशि का भुगतान करते हुए भुगतान किये गये राशि का तीन गुना राशि दण्ड स्वरूप जमा अमानत राशि अथवा निविदाकार को देय राशि से कटौत्रा किया जावेगा। इस बाबत् निविदाकार की कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

20. इस निविदा में उल्लेखित समस्त कंडिकाओं और परिशिष्टों के अभिप्राय (इंटरप्रिटेशन), व्याख्या और स्पष्टता के विषय में किसी भी प्रकार से उत्पन्न विवाद का अंतिम निर्णय कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक द्वारा किया जावेगा, जो दोनों पक्षों (निगम एवं निविदाकार) को मान्य होगा।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज
कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय

परिशिष्ट–1

(1) हमें निविदा की सभी शर्ते स्वीकार है। हमें शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में मानव संसाधन उपलब्ध कराने का अनुभव है, जिसके संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न कर रहे है। हम इस निविदा के अंतर्गत निम्नांकित पदनाम के मानव संसाधन कर्मी के समक्ष दर्षायी गई एकमुश्त मासिक देय राशि की दर से बिना किसी कटौती किये (वैधानिक कटौती को छोड़कर) भुगतान करने का वचन देते है –

क.	मानव संसाधन पदनाम	शुद्ध मासिक देय राशि	सुपरविजन एण्ड मैनेजमेंट चार्जेस (प्रति व्यक्ति/प्रति माह)
1	2	3	4
1	**प्रोजेक्ट मैनेजर**	40,000/– (चालिस हजार)	
2.	**स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)**	20,900/–(बीस हजार नौ सौ)	
3.	**डाटा एंट्री आपरेटर**	18,420/–(अठ्ठारह हजार चार सौ बीस)	
4.	**ऑफिस असिस्टेंट**	18,420/–(अठ्ठारह हजार चार सौ बीस)	

(2) उपरोक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिये एक मुश्त सुपरविजन एंड मैनेजमेंट चार्जेस प्रति व्यक्ति प्रतिमाह पृथक–पृथक दरें कॉलम नंबर–4 में प्रस्तुत करनी होगी। जिसका भुगतान छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा हमें उपरोक्त के अतिरिक्त किया जावेगा। सुपरविजन एंड मैनेजमेंट चार्जेस पूर्णांक में भरना अनिवार्य होगा। दशमलव में भरें गये निविदा दरों को अमान्य किया जावेगा।

नोटः– दरें भरने के पूर्व निविदा की नियम एवं शर्तें की कंडिका–11 का भलिभांति अवलोकन करें।

(3) उपरोक्त कण्डिका 1 एवं 2 के अतिरिक्त निम्नांकित राशि का भुगतान विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत हमारे द्वारा किया जावेगा। जिसकी प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेषन लिमिटेड द्वारा मासिक आधार पर देयक के साथ हमें की जावेगी।

क	मद	वैधानिक पंजीयन क.	प्रतिशत
1	इम्प्लायर प्रोविडेन्ट फण्ड		13%

	(EPF)		
2	ई.एस.आई. (ESIC)		3.25%
3	जीएसटी (GST)		18%
4	अन्य (OTHER)		

नोटः– **ईपीएफ एवं ईएसआईसी अधिनियम के अंतर्गत लागू न्यूनतम वेतन के अंतर्गत उक्त दोनो राशि का कटौत्रा किया जाना है तद्नुसार ही उपरोक्त तालिका में राशि में प्रविष्टी करेंगे।**

(4) निर्धारित एकमुश्त राशि में से प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा किसी प्रकार सेवा शुल्क या अन्य मद में न ही कटौती की जा सकेगी या न ही वसूल की जा सकेगी। परंतु नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा की कटौती एवं अन्य संवैधानिक कटौती ही की जाएगी तथा शेष राशि का भुगतान संबंधित कर्मी के बैंक खातों में करना होगा।

(5) हमारे द्वारा वैधानिक देय राशियों का भुगतान नियत समय के भीतर की जाएगी एवं प्रत्येक माह देय जमा राशि का विवरण, चालान/पावती छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड में जमा किया जावेगा। इसके अतिरिक्त संदाय संबंधी जो भी जानकारी व दस्तावेज आपके द्वारा मांगे जायेंगे, तत्काल उपलब्ध कराया जावेगा।

(हस्ताक्षर)

नाम :–

पदनाम :–

मोबाईल नं. :–

दूरभाष नं. :–

(संस्था की सील)

परिशिष्ट–2

(रू.50/–के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा)

शपथ पत्र

मैं..... संस्था प्रमुख निवासी ..... छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन द्वारा जारी निविदा प्रारुप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रुप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। हमारे फर्म द्वारा देय जी.एस. टी. ई.पी.एफ. ई.एस.आई.सी. अन्यवैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा किया गया है, कोई देय राशि बकाया नहीं है। उपरोक्त आावेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जाएगी। मुझे छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन की उपरोक्त से संबंधित सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार है।

यह कि हमारी संस्था.....किसी शासकीय विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड (काली सूची में) नहीं है।

स्थान .....

दिनांक .....

फर्म के मालिक/अधिकृत हस्ताक्षकर्ता
का हस्ताक्षर
पूरा नाम .....
संस्था का नाम .....
संस्था का सील–मोहर

परिशिष्ट–3

तकनीकी एवं वित्तीय योग्यता हेतु मानदंड :–

तकनीकी प्रस्ताव में शामिल योग्य परियोजनाओं के अनुभव का मुल्यांकन नीचे दिये अनुसार किया जाएगा।

क	मुल्यांकन के मानदंड	स्कोरिंग पैरामीटर	अधिकतम स्कोर
1	निविदादाता एजेंसी को पिछले तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 में सीए से प्रमाणित) का वार्षिक टर्नओवर संबंधित क्षेत्र में।	25 लाख से 50 लाख तक = 5 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक = 10 1 करोड़ से ऊपर = 15	15
2	निविदादाता के एजेंसी/फर्म में गत तीन वित्तीय वर्ष में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का प्रमाणन जिस संस्था में कार्यरत कर्मचारी है उसके कार्यालय प्रमुख अथवा उनके अधिकृत अधिकारी से।	25 से 50 संख्या तक = 5 51 से 100 संख्या तक= 10 101 से ऊपर संख्या = 15	15
3	निविदादाता के एजेंसी/फर्म को गत तीन वित्तीय वर्ष में मानव संसाधन उपलब्ध कराने का प्राप्त कार्यादेश	05 से 10 संख्या तक = 5 11 से 15 संख्या तक = 10 15 से ऊपर संख्या = 15	20
4	वित्तीय मुल्यांकन	**50**	**50**
कुल			**100**

नोटः– निविदाकर्ता के तकनीकी एवं वित्तीय अंको का मुल्यांकन निविदा की नियम एवं शर्तें की कंडिका–11 के अनुसार किया जावेगा।

परिशिष्ट–4

1. अमानत राशि रू. 50,000.00/– R.T.G.S./TRANSFER के माध्यम से (Refundable) **(शर्त क्र. 2)**
2. 02 वर्षों का अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र/पत्रक संलग्न **(शर्त क्र. 4(i))**
3. गत वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 का वार्षिक टर्न ओवर (संबंधित क्षेत्र) में कम से कम एक वर्ष में रू. 25 लाख होने का चार्टेड एकाउंटेन्ट से सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न **(शर्त क्र. 4(ii))**
4. रजिस्टर्ड हेड ऑफिस छत्तीसगढ़ राज्य में ही स्थित होने का प्रमाण–पत्र **(शर्त क्र4(iv))**
5. पैन नंबर की छायाप्रति संलग्न **(शर्त क्र. 4(v))**
6. जी.एस.टी. नंबर पंजीयन की जीवित छायाप्रति संलग्न **(शर्त क्र. 4(v))**
7. विगत तीन वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 में से कम से कम दो Assessment Year का आयकर रिटर्न एवं माह मार्च–2024 की जमा GST-R1 एवं GST-R3 Bरिटर्न की छायाप्रति संलग्न **(शर्त क्र. 4(vi))**
8. राशि रू. 10.00 लाख का बैंक साल्वेंसी प्रमाण पत्र **(शर्त क्र. 8)**
9. ब्लैक लिस्टेड न होने का शपथ पत्र **(शर्त क्र. 14)**
10. लेबर एक्ट वैध पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न **(अन्य शर्त क्र. 2)**
11. निविदाकार कंपनी हो तो कंपनी का MOA संलग्न करना अनिवार्य होगा। फर्म पार्टनरशीप फर्म अथवा प्रोपराइटरशिप फर्म होने की दशा में भागीदारी फर्म का डीड अथवा पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। कंपनी की दशा में MOA में मानव संसाधन आपूर्ति करने का उद्देश्यिका कंडिका में स्पष्ट रुप से उल्लेख होना चाहिये।
12. उक्त समस्त दस्तावेज, एक अनुक्रमणिका तैयार कर, संबंधित दस्तावेजों का पेज नंबर अंकित कर, टेक्नीकल बीड के लिफाफे में प्रस्तुत किए जाए, ताकि प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच उचित क्रम में की जा सके।